



Order No:- 139R/2020-21

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक-18.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Ghulam Nabi Azad** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 751 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

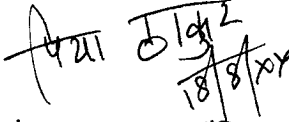
S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	SARVIKA MEHTA	ARUN MEHTA, MOB- 9906008877	5	BHADERWAH
2	LEHAR KOTWAL	NARESH KUMAR, MOB- 9596868465	1	BHADERWAH
3	MOHD. FARZAN	SHOKET MAHMUD, MOB- 9796222054	8	NO.1, GANDHINAGAR, JAMMU
4	AQSA MIR	SHOKET MAHMUD, MOB- 9796222054	3	NO.1, GANDHINAGAR, JAMMU
5	SHAURYA DEV SINGH PAWAR	PADAM DEV SINGH PAWAR, MOB- 6005801485	1	NO.2, AKHNOOR
6	KARAMVEER SINGH	GURDEEP SINGH, MOB- 7889699406	8	NO.3, MIRAN SAHIB
7	YASHARYA SINGH	NARINDER SINGH PATHANIA, MOB- 7298116250	4	SUNJWAN
8	REYAAN BADYAL	PANKAJ BADYAL, MOB- 9419203623	1	NO.1, GANDHINAGAR, JAMMU
9	ABDUL RAUF SHAH	MEHBOOB AHMED SHAH, MOB- 9596738758	1	SUNJWAN, JAMMU
10	SURYA PARTAB SINGH RANA	MANESHWER RANA, MOB- 7889941955	2	NO.1, GANDHINAGAR, JAMMU

पिया ठाकुर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Ghulam Nabi Azad माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, JAMMU संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

